

प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)

91 फतेहपुर सीकरी निर्वाचन-क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)
उत्तर प्रदेश विधान सभा (सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

मैं बाबुलाल (**पुत्र/पुत्री/पत्नी) रघुश्याम आयु 69 वर्ष, जो ग्राम व पंचायत
पनवारी मिया अग्र (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ,
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ।

(1) मैं बाबुलाल (**राजनैतिक दल का नाम) भारतीय जनता पार्टी द्वारा
खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
(**जो लागू न हो उसे काट दें।)

(2) मेरा नाम 91 फतेहपुर सीकरी 3530 (निर्वाचन-क्षेत्र और राज्य का नाम) में क्रम सं. 136 पर,
भाग सं. 354 में प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे 9412750044 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएँ है/हैं और chbabulalbjf@gmail.com मेरा ईमेल
पता (यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित है/हैं।

- (i) W.A. 9412750044
(ii) F.B. बाबुलाल
(iii) नहीं

(4) स्थाई खाता संख्या (पैन) और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति:

क्र.सं.	नाम	पीएएन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरण फाइल की गई है	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिए आय-कर विवरणी में दर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	ACEPL 7561 R	2021-2022	2021-22 (i) 490000 2020-21 (ii) 56221 2019-20 (iii) 1191818 2018-19 (iv) 615530 No (v) No
2.	पुत्री या पत्नी <u>महावीरी देवी</u>	AHQ8D9110D	2021-2022	2021-22 (i) 355000 2020-21 (ii) 399250 2019-20 (iii) 315000 2018-19 (iv) 45259 2017-18 (v) 315142
3.	हिंदू अविभक्त कुटुंब (यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक है)	<u>नहीं</u>	<u>नहीं</u>	<u>नहीं</u> <u>नहीं</u> <u>नहीं</u> <u>नहीं</u> <u>नहीं</u>
4.	आश्रित-1	<u>नहीं</u>	<u>नहीं</u>	<u>नहीं</u> <u>नहीं</u> <u>नहीं</u> <u>नहीं</u> <u>नहीं</u>



Handwritten signature

5.	आश्रित-2	नहीं	नहीं	(i) नहीं (ii) नहीं (iii) नहीं (iv) नहीं (v) नहीं
6.	आश्रित-3	नहीं	नहीं	(i) नहीं (ii) नहीं (iii) नहीं (iv) नहीं (v) नहीं

टिप्पण: स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आवश्यक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित नहीं हुआ है"। **ऊपर उल्लेख का रिपोर्टिंग है।**

(5) लंबित आपराधिक मामले

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।
(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने "लागू नहीं" होता है लिखें) **लागू नहीं**

✓ (ii)

मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं।

(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं तो इस विकल्प चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों का ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं.	सेल 107क . सी . 1
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.	सेल 107क . सी . 1
(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा	सेल 107क . सी . 1
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	सेल 107क . सी . 1
(ङ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)	सेल 107क . सी . 1
(च)	यदि उपर्युक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दें, जिसको आरोप विरचित किए गए थे।	सेल 107क . सी . 1
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	सेल 107क . सी . 1

(6) दोषसिद्धि के मामले

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। **नहीं**

(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)

या

(ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है। **लागू नहीं**
(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें) **लागू नहीं**



[Handwritten signature]

सारणी

(क)	मामला संख्यांक	लागू नही
(ख)	न्यायालय का नाम	लागू नही
(ग)	अंतर्वलित अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा)	लागू नही
(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिए दोषसिद्ध किया गया है।	लागू नही
(ङ)	दोषसिद्ध के आदेशों की तारीखें	लागू नही
(च)	अधिरूपित दंड	लागू नही
(छ)	क्या दोषसिद्धके आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नही
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्रास्थिति दें।	लागू नही

(6क) मैंने, ऊपर पैरा (5) और (6) में दिए गए अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है। [ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5 (I) और पैरा 6 (I) में की प्रविष्टियों को देखते हुए, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए]

टिप्पण:

1. ब्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद के सामने विभिन्न स्तंभों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाए।
3. ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती है।
5. अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा।

(7) यह है कि मैं, अपनी पत्नी/पति और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) का भी ब्यौरे नीचे देता हूँ:

क. जंगम आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना है।

टिप्पण 2- निक्षेप/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, निक्षेप की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3-सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंध पत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4-"आश्रित" से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है (हैं), जिसके आय के पृथक साधन नहीं है और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।

टिप्पण 5- प्रत्येक विनिधान के संबंध में रकम सहित ब्यौरे अलग-अलग रूप में दिए जाने हैं।

टिप्पण 6- ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

स्पष्टीकरण इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए " अपतट आस्तियों" पद से विदेशी बैंकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जाम राशियों या विनिधानों के ब्यौरे और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे अभिप्रेत हैं:

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	₹ 8,00,000/-	₹ 5,00,000/-	नही	नही	नही	नही



[Handwritten Signature]

	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	१४	२५	१४	१४	१४	१४
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	१४	१४	१४	१४	१४	१४
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	१४	१४	१४	१४	१४	१४
	विकास, निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	१४	१४	१४	१४	१४	१४
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	१४	१४	१४	१४	१४	१४
(ii)	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	१४	१४	१४	१४	१४	१४
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	१४	१४	१४	१४	१४	१४
	क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है (हां या नहीं)	१४	१४	१४	१४	१४	१४
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	१४	१४	१४	१४	१४	१४
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	१४	१४	१४	१४	१४	१४
	विकास निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	१४	१४	१४	१४	१४	१४
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	१४	१४	१४	१४	१४	१४
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) - अवस्थिति (अवस्थितियां) - सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	१४	१४	१४	१४	१४	१४
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	१४	१४	१४	१४	१४	१४
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	१४	१४	१४	१४	१४	१४
	क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है (हां या नहीं)	१४	१४	१४	१४	१४	१४
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	१४	१४	१४	१४	१४	१४
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	१४	१४	१४	१४	१४	१४



(Handwritten signature)

	विकास, निर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान	२४	२४	२४	२४	२४	२४
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	२४	२४	२४	२४	२४	२४
(iv)	आवासीय मवन (अपार्टमेन्ट सहित - अवस्थिति(अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	२४	२४	२४	२४	२४	२४
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२४	२४	२४	२४	२४	२४
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२४	२४	२४	२४	२४	२४
	क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है (हा या नहीं)	२४	२४	२४	२४	२४	२४
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२४	२४	२४	२४	२४	२४
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	२४	२४	२४	२४	२४	२४
	विकास, निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	२४	२४	२४	२४	२४	२४
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	२४	२४	२४	२४	२४	२४
(v)	अन्य (जैसे कि सम्पत्ति में हित)	२४	२४	२४	२४	२४	२४
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	२४	२४	२४	२४	२४	२४

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देय के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-
(टिप्पण: कृपया प्रत्येक मद के सामने बैंक, संस्था, अस्तित्व या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अलग-अलग विवरण दें)

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या देय राशि बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	२४	२४	२४	२४	२४	२४
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या देय राशि नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	२४	नहीं	२४	२४	२४	२४



	कोई अन्य दायित्व	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	दायित्वा का कुल योग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	सरकारी शोध्द सरकारी आवास से संबंधित विभागो को शोध्द	<p>क. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिभोग में हैं? हाँ</p> <p>ख. यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात:-</p> <p>(i) सरकारी आवास का पता:- 155-151 नोप रेवेन्यू नर्या रिस्का</p> <p>(ii) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में, निम्नलिखित के मददे कोई शोध्द संदेय नहीं है:- (क) भाटक (ख) विद्युत प्रभार (ग) जल प्रभार, और (घ) (तारीख) को टेलीफोन प्रभार [तारीख उस मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख या उसके पश्चात् की कोई तारीख होनी चाहिए।] टिप्पण- उपरोक्त सरकारी आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत संबंधित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p>					
(iii)	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को शोध्द (जिसके अंतर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी हैं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
		स्वयं	पति/पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(iv)	आयकर शोध्द	46200	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(v)	जीएसटी शोध्द	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(vi)	नगरपालिका /संपत्ति पर शोध्द	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(vii)	कोई अन्य शोध्द	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(viii)	सभी सरकारी शोध्द का कुल योग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त हैं, यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्वलित रकम का और प्राधिकारी का, जिसके समक्ष यह लंबित है, उल्लेख करें।"	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

नो डिपूज
उभाउ पत्र
दिनांक



Handwritten signature

- (9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे : पेशेवर कृषि व वाणिज्य व्यापार
 (क) स्वयं
 (ख) पति या पत्नी
- (9क) आय के स्रोतों के ब्यौरे : पेशेवर कृषि व वाणिज्य व्यापार
 (क) स्वयं
 (ख) पति या पत्नी
 (ग) आश्रितों के आय के स्रोत, यदि कोई हों
- (9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाएं—
 (क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे
 (ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे
 (ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे
 (घ) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितवद्ध है, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे
 (ङ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं
 (च) प्राइवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों का हिस्सा है

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार हैं:-

हाई स्कूल आर.वी.के.वालय बीपी.वी., 1969

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष का ब्यौरा दे जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।)

भाग - ख

(11) भाग -क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का सार

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु. <u>बाबू माल</u>					
2.	डाक का पूरा पता	<u>ग्राम प. प्रयागपुरा, पुरावा, जिला बिना</u>					
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>3) श्रम धर श्रमिक</u>					
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिरामें अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)	<u>भारतीय जनता पार्टी</u>					
5.	लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या	<u>7</u>					
6.	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया है"।	<u>शून्य</u>					
7.	स्थायी लेखा सं. (पैन)	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है		कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी	<u>ACDL7561R</u>	<u>2021-22</u>	<u>490000/-</u>			
	(ख) पति या पत्नी	<u>AAQD9110D</u>	<u>2021-22</u>	<u>355000/-</u>			
	(ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब	<u>नए</u>	<u>नए</u>	<u>नए</u>			
	(घ) आश्रित	<u>नए</u>	<u>नए</u>	<u>नए</u>			
8.	आस्तियाँ और देयताओं के ब्यौरे (रूप में)						
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
अ.	जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	<u>578,16,500/-</u>	<u>49,84,800/-</u>	<u>नए</u>	<u>नए</u>	<u>नए</u>	<u>नए</u>



आ.	स्थावर आस्तियां						
i.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	78	72	78	78	72	72
ii-	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/निर्माण लागत (यदि लागू हो)	71	71	71	70	72	72
iii.	(क)स्वार्जित आस्तियों (कुल मूल्य) (ख)विरासती आस्तियों (कुल मूल्य) की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	71	71	70	71	71	71
9.	दायित्व						
i	सरकार के देय (कुल)	78	70	72	72	72	72
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	72	900000	72	72	72	72
10.	दायित्व जो विवादग्रस्त हैं।	72	72	72	72	72	72
i	सरकार के देय (कुल)	72	72	72	72	72	72
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	72	72	72	72	72	72
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता: (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)	डा. वि. सु. - 10/01/2022 को सत्यापित किया गया। 1969					

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वत्र ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषित करता हूँ कि:-

- (क) पूर्वोक्त भाग अ की मद 5 और मद 6 और भाग आ में उल्लिखित से भिन्न किसी मामले में मैं दोषसिद्ध नहीं हुआ हूँ या कोई मामला मेरे विरुद्ध लम्बित नहीं है।
(ख) पूर्वोक्त भाग अ की मद 7 और मद 8 तथा भाग आ के मद 8, मद 9 और मद 10 में उल्लिखित से भिन्न मेरी, मेरे पति/मेरी पत्नी या मेरे आश्रितों की कोई भी आस्ति या दायित्व नहीं है।

Signature

.....स्थान पर आज तारीख 10/01/2022 को सत्यापित किया गया।

Signature
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

- टिप्पण: 1. शपथपत्र, नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन सायं तीन बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।
टिप्पण: 2. शपथपत्र में, शपथ आयुक्त के समक्ष या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
टिप्पण: 3. सभी स्तंभ भरे जाने चाहिए और कोई स्तंभ खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी स्तंभ में कोई सूचना नहीं दी जानी है तो, यथास्थिति, या तो "कुछ नहीं" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
टिप्पण: 4. शपथपत्र या तो टंकित होना चाहिए या सुस्पष्ट और स्पष्ट: लिखित होना चाहिए।
टिप्पण: 5. शपथ पत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष शपथ पत्र सत्यापित किया जाता है, की स्टाप होनी चाहिए।



Solemnly affirmed and declared on
oath on 10-01-22
at on 22
Identified by *Signature*

भाग-3क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

[(1)] क्या अभ्यर्थी को -

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951का 43) की धारा 8 की-

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया

है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से

दंडित किया गया है

हां / नहीं

✓

यदि उत्तर "हां" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक कुट नही'
- (ii) पुलिस थाना / (थाने) कुट नही' जिला (जिले) कुट नही'
राज्य कुट नही'
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था कुट नही'
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें) कुट नही'
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था कुट नही'
- (vi) अधिरोपित दंड [कारावास (कारावासों) की अवधि और / या जुर्माने की राशि उपदर्शित करें] कुट नही'
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) कुट नही'
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हां / नहीं नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तारीख और विशिष्टियां
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे कुट नही'
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह / वे लंबित हैं कुट नही'
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो -
(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) कुट नही'
(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) कुट नही'
- (2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है? कुट नही' (हां / नहीं)
-यदि हाँ, धारित पद के ब्यौरे कुट नही'
- (3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है? कुट नही' (हां / नहीं)
-यदि हाँ, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है कुट नही'

- (4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के प्रति राजनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है? नहीं
(हां/नहीं)
—यदि हां, ब्यौरे दीजिए नहीं
- (5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हित किया गया है? नहीं (हां/नहीं)
—यदि हां, निरर्हित किये जाने की अवधि नहीं
- (6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया है? नहीं (हां/नहीं)
—यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीख नहीं
- (7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यक्ति हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा (संविदाएं) रखता है जिसमें (जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किये संकर्म के निष्पादन के लिए शेर रखता है? नहीं (हां/नहीं)
—यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदा (ओं) के ब्यौरे नहीं
- (8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम (सहकारी सोसाईटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेर नहीं रखती है? नहीं
(हां/नहीं)
—यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे नहीं
- (9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरर्हित किया गया है? नहीं (हां/नहीं)
—यदि हां, निरर्हन की तारीख नहीं



✓

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान: अजमेर

तारीख : 17-01-2022

फार्मेट सी-1

(समाचार पत्रों, टी.वी. में प्रकाशन हेतु अभ्यर्थियों के लिए)

आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुसार) (पब्लिक इंटेरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य)

अभ्यर्थी का नाम और पता: बाबूलाल - पनवारी आगरा

राजनैतिक दल का नाम: भारतीय जनता पार्टी

(निर्दलीय अभ्यर्थी यहां "निर्दलीय" लिखें)

निर्वाचन का नाम: उत्तर प्रदेश विधान सभा 2022

*निर्वाचन क्षेत्र का नाम: 91 उत्तर प्रदेशी करी

में बाबूलाल (अभ्यर्थी का नाम), उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता/करती हूँ: दस्तावेज -1

(क) लंबित आपराधिक मामले				
क्र. सं.	न्यायालय का नाम	मामले की सं. एवं तारीख	मामले (लों) की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा (एँ) एवं अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण
	सेल गनक के अनुसार	/	/	/
(ख) आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के मामलों के संबंध में विवरण				
क्र. सं.	न्यायालय का नाम एवं आदेश (शों) की तारीख (खें)	अपराधा (अपराधों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण	अधिकतम अधिरोपित दंड	
	सेल गनक के अनुसार	/	/	/

*राज्य सभा के निर्वाचन या विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद् के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

नोट :

1. अभ्यर्थी के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों से संबंधित विवरण मोटे अक्षरों में होगा।
2. समाचार-पत्रों में सूचना न्यूनतम 0 12 फोंट के आकार में प्रकाशित कराई जाएगी।
3. प्रत्येक मामलों के लिए विवरण अलग-अलग पंक्तियों में अलग-अलग दिया जाना चाहिए।
4. यदि कोई अभ्यर्थी किसी दल विशेष के टिकट पर निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसे उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के बारे में दल को सूचित करना आवश्यक होगा।
5. जैसे ही आपराधिक मामलों के संबंध में घोषणा प्रकाशित हो जाती है, अभ्यर्थी तत्काल इसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देंगे। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर वे निर्वाचन व्ययों के लेखा सहित फार्मेट-सी-4 में मामलों के संबंध में घोषणा के प्रकाशन के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। (क) लोकसभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों के मामले में इसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, (ख) राज्य सभा और राज्य विधान परिषद के निर्वाचनों के मामलों में इसे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

फार्मेट सी-1

मैं बाबूलाल (अभ्यर्थी का नाम) उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, सावंगजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पुर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूँ:-

(क) लम्बित आपराधिक मामले

क्र०सं०	न्यायालय का नाम	मामले की संख्या एवम् तारीख	मामले(लों) की स्थिती	संबंधित अधिनियमों की धारा (एँ) एवं अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण
1	स्पे०जज एमपी,एम०एल०ए० आगरा	54352 / 2015 29.01.2022	हाजिरी / 321 सीआरपीसी की सुनवाई	147,148,149,307,332,352,353,341,323,504,506, आईपीसी व 7 किमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट
2	स्पे०जज एमपी,एम०एल०ए० आगरा	58 / 2000 25.01.2022	बहस	147,148,149,307,332,353, आईपीसी व 3(2) एससी / एसटीएक्ट
3	एसीजेएम प्रथम एमपी एम०एल०ए० आगरा	1057 / 2011 28.01.2022	स्थगन आदेश	147,148,323,427,361,336,332 आईपीसी व 7 लॉ किमिनल अमेन्डमेन्ट एक्ट व 3/5 लोक समपत्ति क्षति निवारण अधिनियम व 150,151,152,174 रेलवे अधिनियम
4	एसीजेएम प्रथम एमपी एम०एल०ए० आगरा	2681ए / 2010 22.01.2022	चार्ज फ्रेम	146,147,174, रेलवे अधिनियम
5	एसीजेएम प्रथम एमपी एम०एल०ए० आगरा	2709 / 2014 20.01.2022	हाजिरी	147,148,341,323,504,506,427, आईपीसी व 7 सी०एल०ए
6	एसीजेएम प्रथम एमपी एम०एल०ए० आगरा	54953 / 2015 28.01.2022	हाजिरी / 321 सीआरपीसी की सुनवाई	147,341,330,342,504,332,353, आईपीसी व 7 सी०एल०ए
7	स्पेशल सी०जे०एम० आगरा	576 / 2010 28.03.2022	हाजिरी	147,148,342,336,427, आईपीसी व 7 सी०एल०ए

(ख) आपराधिक मामलों के लिए दोषासिद्धि के मामलो के संबंध में विवरण

क्र०सं०	न्यायालय का नाम एवं आदेश (शों) की तारीख	अपराध (अपराधों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण	अधिकतम अधिरोपित दंड
	नहीं	नहीं	नहीं

(Handwritten Signature)

फॉर्म सी-2

(राजनैतिक दलों के लिए वेबसाइट, सामाचार-पत्रों/टी0वी0 में प्रकाशन हेतु)

दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं एक अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुसार)

राजनैतिक दल का नाम: भारतीय जनता पार्टी

*निर्वाचन का नाम: उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र 91 फातेहपुर सीकरी

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम उत्तर प्रदेश

सलगन-2

1	2	3	4		5		
क्र. स	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	अभ्यर्थी का नाम	(क) लंबित आपराधिक मामले		(ख) आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के विषय के संबंध में विवरण		
			न्यायालय का नाम, मामले की सं. एवं मामला (मामलों) की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धाराएं और अपराध (घों) का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय का नाम एवं आदेश(शों) की तारीख (तारीखें)	अपराध(घों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण	अधिकतम अधिरोपित दंड
	91 फातेहपुर सीकरी	संजयानन्द		/	/	/	/
		बाबू लाल	के अनुसार	/	/	/	/
	1	1	1	/	/	/	/

*राज्य सभा के निर्वाचन अथवा विधान सभा संदस्यों द्वारा, विधान परिषद् के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

नोट:-

1. अभ्यर्थी के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के विवरण मोटे अक्षरों में होंगे।
2. समाचार-पत्रों में सूचना न्यूनतम 12 फॉट के आकार में प्रकाशित कराई जाएगी।
3. उपर्युक्त सूचना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यवार प्रकाशित की जाएगी।
4. यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशिष्ट दल की टिकट पर निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसे उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के बारे में दल को सूचना देने की आवश्यकता होगी।
5. राजनैतिक दल आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थियों से संबंधित सूचना दल की वेबसाइट पर डालने के लिए बाध्य होंगे।
6. राजनैतिक दल संबंधित निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर आपराधिक मामलों के संबंध में घोषणा के प्रकाशन की रिपोर्ट फॉर्म सी-5 में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

फॉर्मेट सी - 2

दल द्वारा खड़े किये गए अभ्यर्थियों के बारे में घोषणा

क्र०सं०	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	अभ्यर्थी का नाम	(क) लम्बित अपराधिक मामले		(ख) अपराधिक मामले के लिए दोष सिद्ध के विषय के संबंध में विवरण		
			न्यायालय का नाम, मामले की सं० एवं मामला (मामलों) की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारारें और अपराध (धों) का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय का नाम एवं आदेश (शों) की तारीख(तारीखें)	अपराध (धों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण	अधिकतम अधिरोपित दण्ड
1	91 फतेहपुरसीकरी	बाबूलाल	स्पे० जज एमपी एमएलए हाजिरी आगरा 54352/2015 हाजिरी	147,148,149,307,332,352,353,341,323,504,506, आईपीसी व 7 क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट	नहीं	नहीं	नहीं
2	91 फतेहपुरसीकरी	बाबूलाल	स्पे० जज एमपी एमएलए हाजिरी आगरा 58/2000 बहस	147,148,149,307,332, 353 आईपीसी व 3(2)एससी/एसटीएक्ट	नहीं	नहीं	नहीं
3	91 फतेहपुरसीकरी	बाबूलाल	एसीजेएम प्रथम, एमपीएमएलए आगरा 1057/2011 स्टे	147,148,323,427,361,353,336,332 आईपीसी व 7 लॉ क्रिमिनल अमेन्डमेन्ट एक्ट व 3/5 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम व 150,151,152,174 रेलवे अधिनियम	नहीं	नहीं	नहीं
4	91 फतेहपुरसीकरी	बाबूलाल	एसीजेएम प्रथम, एमपीएमएलए आगरा	146,147,174 रेलवे अधिनियम	नहीं	नहीं	नहीं

			2681ए/2010 चार्ज फ्रेम				
5	91 फतेहपुरसीकरी	बाबूलाल	एसीजेएम प्रथम, एमपीएमएलए आगरा 2709/2014 हाजिरी	147,148,341,323,504,506,427 आईपीसी व 7 सी0एल0ए0	नहीं	नहीं	नहीं
6	91 फतेहपुरसीकरी	बाबूलाल	एसीजेएम प्रथम, एमपीएमएलए आगरा 54953/2015 हाजिरी	147,341,330,342,504,332,353 आईपीसी व 7 सी0एल0ए0	नहीं	नहीं	नहीं
7	91 फतेहपुरसीकरी	बाबूलाल	स्पेशल सी0जे0एम आगरा 576/2010 हाजिरी	147,148,342,336,427 आईपीसी व 7 सी0एल0ए0	नहीं	नहीं	नहीं

[Handwritten signature]

प्रारूप सी-3

रिटनिंग अधिकारी का कार्यालय

निर्वाचन क्षेत्र का नाम: १। फतेहपुर शीकरी विधान सभा

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश

निर्वाचन का नाम: 30 प्रो विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022

यह सूचित किया जाता है कि वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर 2018 के निर्णय एवं आयोग के दिनांक 10.10.2018 के पत्र सं. 3/ईआर/2018/एसडीआर में दिए गए निदेशों के अनुसार, आपराधिक मामले-चाहें लंबित मामले या पूर्व में दोषसिद्धि के मामले वाले सभी अभ्यर्थियों द्वारा अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तारीख के बाद और मतदान की तारीख से दो दिन पहले के दौरान, तीन अवसरों पर समाचार पत्रों और टी.वी. चैनलों में ऐसे आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा प्रकाशित करना आवश्यक है। टीवी चैनलों में प्रकाशन की घोषणा मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के 48 घंटे की अवधि से पहले पूरी हो जानी चाहिए।

चूंकि आपने, उपर्युक्त निर्वाचन के लिए नामित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/सुश्री बाबूलाल (अभ्यर्थी के नाम का उल्लेख करें) ने प्रारूप-26 की मद सं. 5/6 में आपराधिक मामलों के बारे में सूचना की घोषणा की है, अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से वितरित होने वाले समाचार पत्रों में एवं टी.वी. चैनलों में इस जानकारी को प्रत्येक में कम से कम तीन अवसरों पर प्रकाशित करें। जानकारी प्रकाशित करने के लिए फॉर्मट सी-1 इसके साथ संलग्न है। जैसे ही आपराधिक मामलों की घोषणा प्रकाशित हो जाती है, आप इसकी रिपोर्ट तत्काल रिटनिंग अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त, आप निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर निर्वाचन व्यय के लेखा सहित आपराधिक मामलों की सूचना प्रकाशित करने वाले समाचार-पत्रों की प्रतियों के साथ फॉर्मट सी-4 में मामलों के सम्बन्ध में घोषणा प्रकाशित होने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। (क) लोकसभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों के मामले में इसे सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, (ख) राज्य सभा और राज्य विधान परिषद के निर्वाचनों के मामलों में इसे सम्बन्धित रिटनिंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

तारीख 17/11/2022

हस्ताक्षर 17/11/2022

रिटनिंग अधिकारी/सहायक रिटनिंग अधिकारी का नाम अनिल कुमार सिंह

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर [Signature]

उप रिटनिंग अधिकारी
रिटनिंग अधिकारी

टिप्पणी: इसकी एक प्रति अभ्यर्थी को दी जानी चाहिए और एक प्रति रिटनिंग अधिकारी के पास रखी जानी चाहिए।

Report of political party as required under the Commission's directions issued in pursuance of the Order dated 13-02-2020 of Hon'ble Supreme Court in Contempt Petition(C) No. 2192 of 2018 in WP (C) No. 536 of 2011.

Name of political party : BJP

Details of Social Media Accounts of the party: (i) BJP Uttar Pradesh (Facebook)
(Facebook, Twitter etc.) (ii) BJP (@BJP4India) (Twitter)
(iii)

Name of Election: Uttar Pradesh Legislative Assembly Election, 2022

Gen Election/ Bye-election to Lok Sabha / Leg. Assembly/Biennial election/ Bye election to Council of States/Leg Council
(Write the appropriate alternative)

Name of State: Uttar Pradesh

It is certified that BJP (name of political party) has published detailed information regarding the persons with pending criminal cases in the Format prescribed by the Commission (Format C-7) as per the directions in the Commission's letter No. _____, dated _____ in the following media:

Sl.no.		Date of publication & cost of publication to be mentioned in column below	
		Date	Cost
1.	One National Newspaper (copy to be furnished)	N/A	N/A
2.	One Local Vernacular Newspaper (copy to be furnished)	N/A	N/A
3.	Social Media Platforms of the party (print to be furnished)	21/01/2022	N/A
4.	Website of the party (printout of the material enclosed)	21/01/2022	N/A

Declaration

It is declared that full information, explanation and details have been published in respect of each of the persons with pending cases who have been selected to be the candidates of the party in the abovementioned election, as per the directions in the Order dated 13-02-2020 of the Hon'ble Supreme Court referred to above, and nothing has been concealed.


Place:

Signature of office bearer of the Political Party

Name and designation.....

Date:

(seal of the Party)


गिर्राज सिंह कुशवाह
जिला अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी, आगरा

Note:-This report shall be furnished at least two weeks before the date on which nomination is proposed to be filed or within 72 hours of selection of the candidate, whichever is earlier.